संख्या– /7/ /XXVII(5)/मनो0कर/2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–5

देहरादून::दिनांक 5 नवम्बर,2004

विषयः– फिल्म "मेरी प्यारी बोई "को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आमोद और पणकर अधिनियम–1979 की धारा–11(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा यह आदेश देते हैं कि फिल्म "मेरी प्यारी बोई" के प्रदर्शन, इस आदेश की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन "100 प्रतिशत मनोरंजन कर"से मुक्त होगे :–

1– (1)– उपर्युक्त फिल्म के एक समय में अधिकतम तीन प्रिन्ट पूरे प्रदेश में चलाये जायेंगे, तथा एक जनपद में एक समय में केवल एक ही प्रिन्ट प्रदर्शित किया जायेगा।

(2)– सिनेमा स्वामी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, और न ही उसमें आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(3)– इस फिल्म के साथ कोई अन्य फिल्म नहीं दिखायी जायेगी, सिवाय एप्रूव्ड (Approved) फिल्म के, जैसा कि सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के परिशिष्ट–1 के सिनेमा लाइसेंस प्रतिबन्ध संख्या (2) में उल्लिखित हैं, लेकिन नये आने वाली फिल्मों के ट्रेलर तथा विज्ञापन आर्टस दिखाये जाने की अनुमति होगी।

5177
6·11·04

आवश्यक कार्यवाही ...
...(आलय) उत्तरांचल, देहरादून

2– विषयगत संदर्भ में मुझे यह भी कहने का निदश हुआ है कि ऐसे सिनेमा का स्वामी, जिसमें फिल्म का कर से मुक्त प्रदर्शन किया जाए, आमोद और पण कर नियमावली–1981 में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार विहित रूप से प्रत्येक प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय में नियमित रूप से तैयार करेगा, और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम उसी प्रकार से लागू होंगे, जिस प्रकार सामान्य फिल्मों के प्रदर्शनों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त कर मुक्त फिल्म के लिए जारी किये जाने वाले टिकट पर यथास्थिति शब्द " 100 प्रतिशत कर मुक्त "मुद्रित होंगे, अथवा रबर की मुहर से अंकित किये जायेंगे, तथा टिकटों के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम लागू होंगे।

3— प्रश्नगत मामले में उपर्युक्त शर्तो तथा मनोरंजन कर से छूट के सम्बन्ध में प्रभावी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कर मुक्ति की यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी, और उल्लंघन के लिए सम्बन्धित सिनेमागृहों के करमुक्त प्रदर्शनों पर नियमानुसार मनोरंजन कर लगाया तथा वसूल किया जाएगा।

4— निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना आयुक्त, कर, उत्तरांचल को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5— प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप शासन को होने वाली राजस्व हानि की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी,आयुक्त, कर, उत्तरांचल,देहरादून को यथा समय देना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या—171 (1)/ XXVII(5)/मनो0कर /2004, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आयुक्त, कर उत्तरांचल, देहरादून।

2— श्री जितेन्द्र जोशी,सृष्टि आर्ट एण्ड कम्यूनिकेशन सर्विस को आयुक्त, कर के माध्यम से।

आज्ञा से,

5/11/2004
(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।